(12

- 1. Officers of the Central/State Government/ Union Territories/ Statutory and Autonomous organisations/ Public Sector undertakings;
- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or
- (ii) With three years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 7450-11500 or equivalent in the parent cadre/ Department; or
- (iii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment under col. 8.

Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of application.

Note: Officers of Central/State Governments/ Union Territorics only will be eligible for consideration for absorption.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment

13

Group 'A' Departmental promotion Committee (for confirmation):—

14

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

- Joint Secretary (concerned), Ministry of Health & Family Welfare.
- —Chairman
- Deputy Director General (Medical), Directorate General of Health Services
- -- Member
- 3. Director (Administration & Vigilance), Directorate General of Health Services.
- ---Member

[F. No.A-12018/07/1999-RR/ME.III] MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

## गई दिल्ली, 21 जुलाई, 2006

70 m

सा.का.नि. 193,—राष्ट्रपति, संविधान के अनुष्येद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ परफ्युजियोंनिस्ट के पद पर धर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरबंग अस्पताल, नई दिल्ली, (कनिष्ठ परफ्युजियोनिस्ट) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 है।
  - (2) ये राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

216861/06-5

- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरहंता,—वह व्यक्ति—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
    - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यंक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पाल नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुसेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति,—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	सर्गीकाण	वेतनमान	चयन	सीधे मर्ती किए जाने	सेर	त्रा में जोड़े गए वर्ष
7 701 181	141 41 11011	7 1171		अथवा	वाले व्यक्तियों के लिए		न न जाड़ गए पन । फायदा केन्द्रीय
å				अचयन	आयु-सीमा		। गानना नग्नान विल सेवा (पॅशन)
				पद	au 3 (21.41		यम, 1972 के
1							यम ३० के अधीन
							नुज़ेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6		7
. कनिष्ठ		साधारण केन्द्रीय	₹. 5000-150-	- लागू नर्ह	ों 18 से 25 वर्ष के बीच के	द्रीय	लागू नहीं होता
परफ्युजियो-	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'ग'	8000 ফ.	होता	सरकार द्वारा समय-समय पर	जारी	
निस्ट	आधार पर	अराजपत्रित,		(4)	जारी किए गए अनुदेशों या अ		
	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	•		के अनुसार सरकारी सेवकों के		(6)
	जा सकता है।.				40 वर्ष तक शिथिल की जा स	कती :	
	•				है।		
					टिप्पणी 1 : आयु-सीमा अवधारित	न करने	
					के लिए निर्णयक तारीख भारत में अध	यर्थियों	
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए निय	त की	* ×
•		*			गई ॲतिम तारीख होगी। (न कि वह	अतिम	
					तारीख जो असम, मेबलय अरुणाचल	प्रदेश,	,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिर्	वकम,	
					जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हि	मचल	
					प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिल	तथा	
	in-				चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमा	न और	
	•	*			निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्यक्षि	र्यों के	
-	š				लिए विहित की गई है)।		
					टिप्पण 2 : रोजगार कार्याल	मों के	
1					माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति	त की	
			•		दशा में, आयु-सीमा अवधारित		
					के लिए निर्णायक तारीख वह		
					तारीख होगी जिस पर रोजगार कार		
		£			से नाम भेजने के लिए कहा गय		

अपेक्षित शैक्षिणिक और अन्य अईताएं	आयु और शैक्षिक अर्हता में लागू होंगी या नहीं	ाले व्यक्तियों के एं प्रोन्नत व्यक्ति		परिवीक्षा की अव हो	ाध, याद काइ
8	9	-815-78-79-79-8-4-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0		10	
आवश्यक :	7	नागू नहीं होता	-	सीधी भर्ती किए	जाने वाले
(i) किसी मान्यताप्रप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान ममतुल्य ।	में डिग्री या			व्यक्तियों के लिए	र्दो वर्ष।
(ii) काडियो थोरेसिक सर्जनस ऑफ इंडिया सं तकनीकी में डिप्लोमा: या	गठन से परफ्युजन	. (6)			8 .
टिप्पणी 1 : अनुमव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिका अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अध्यर्धि शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रधिकारी आयोग की यह राय है कि उनके लिए आ	न्यों की दशा में तब प्रक्रम पर सक्षम रिक्तियों को				
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समु के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नह					
भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वार प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		तिनियुक्ति या अ	ामेलन किया ज	िकी दशा में वे श्रे गएगा	णियां जिनसे
11			12		
सीधी भर्ती	*	लागू नह	हीं होता		
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतर लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या कियी अन्य परि	स्थिति		×		
में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रह कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिव	<b>हारियों</b>				
में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेर्ग	ी तथा			•	
जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अर्हता हो।				9 9	si
स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अर्हता हो।	हे लिए		ते में किन पर्रि से परामर्श किय	स्थितियों में संघ लो ा जाएगा	क सेवा
स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अर्हता हो।	हे लिए			ा जाएगा	क सेवा
स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अर्हता हो। यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (13)	हे लिए		से परामर्श किय	ा जाएगा	क सेवा
स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अर्हता हो। यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (13) समृह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल प् में भिन्नतिशिक्त होंगे :—	के लिए		से परामर्श किय (14)	ा जाएगा	क सेवा
स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अहंता हो। यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (13) समृह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल ए में भिन्नशिखित होंगे :	के लिए		से परामर्श किय (14)	ा जाएगा	क सेवा
स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अहंता हो।  यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना  (13)  समृह ग विभागीय प्रोन्नित समिति केवल प् में भिन्निलिखित होंगे :—  1. अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग अस्पत  2. विभाग प्रमुख, सफदरजंग अस्पताल	पुष्टि के लिए) जल -अध्यक्ष -सदस्य		से परामर्श किय (14)	ा जाएगा	क सेवा
स्तंभ (8) में यथा अधिकथित अहंता हो। यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (13) समृह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल ए में भिन्नलिखित होंगे :— 1. अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग अस्पत	पुष्टि के लिए) जल -अध्यक्ष -सदस्य न या -सदस्य		से परामर्श किय (14)	ा जाएगा	क सेवा

रामलाल, अवर सचिव

## New Delhi, the 21st July, 2006

- G.S.R. 193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Perfusionist in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:—
- 1. Shart Title and commencement.—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi (Junior Perfusionist) group 'C' Post, recruitment Rules, 2006.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruimment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
  - 4. Disqualification.—No person,—
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of post	Number of pos	st Classification	Scale of pay	Whether selec- tion post or non-selection post	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Junior per- fusion ist	2 *Two (2006) *Subject to variation de- pendent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150- 8000.	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)
					Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,

	the incumbent being away on or study leave or under other				
Direct recruitment.	the incombant heire energy on	- a	Not applicab	nie .	
(11)		(12)			
Method of recruitment, whether or by promotion or by dep percentage of the posts to methods	utation, absorption and	n case of recruit ion/absorption, grad deputation/absorptio	e from which to be ma	•	
	the posts reserved for them.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
	are not likely to be available to fill up			W.	
	possessing the requisite experience		y.	· ·	
8	that sufficient number of candidates belonging to these communities	e .		· ·	
	competent authority is of the opinion	100 I	¥	Ti .	
41	if, at any stage of selection the	a a		w	
	in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Schedule Tribes	. •		*	
4	discretion of the competent authority	w.	v s	• "	
· · · · · ·	experience is relaxable at the	• •			
	Cardio Thoracic Surgeons of India.  Note 1: Qualification(s) regarding			, e	
	recognised by the Association of			F	
	2. Diploma in perfusion Technology		•	•	
	recognised University or equivalent.		· ·		
	1. Degree in Science from a	*		recruits.	
Not applicable	Essential:	Notapplicable	9	Two years for direct	
(7)	(8)	(9)		(10)	
·					
Rules, 1972			<del>-</del>		
Civil Services (Pension)	for direct recruits	direct recruits will the case of promot			
years of service admissible under Rule 30 of the Central	qualifications required for direct recruits	qualifications preso	cribed for	if any	
Whether benefit of added	Educational and other	Whether age and e	ducational	Period of probation,	
	· .		submit the		
	9	₩ (%)	last date upto which t Employment Exchange is asked		
			Employmen	nt Exchange shall be the	
	4	. "		g the age limit in the candidates from	
		e		The crucial date for	
				Andaman & Nicoba Lakshadweep).	
		e e		District of Himacha	
				Pangi Sub Division o	
				kkim, Ladakh Divisior State, Lahaul & Spirt	
				(6)	
			924	(6)	

(11)

circumstances for a duration of one year or more may be filled by the Appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 8.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment			
13		W 1000000	14		
	oup 'C' Departmental Promotion Committee r confirmation only) consisting of :	Not applicable.			
1.	Additional Medical Superintendent. Safdarjung Hospital.	—Chairman			
2.	Head of Concerned Department. Safdarjung Hospital.	Member			
3.	Director Administration or Deputy Director Administration (concerned) of the Directorate General of Health Services.	Member			
4.	Deputy Director (Administration) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital.	—Member	* ,		

[F. No. A-12018/33/2000-RR(H)]

RAM LAL, Under Secy.